

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

बल्लभ भवन, भोपाल-462002

क्र. एफ-52/1/10/यो/19 -47
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03.01.2011
4

समस्त मुख्य अभियन्ता
समस्त अधीक्षण यंत्री,
समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :- लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी किया जाना।

कार्यों के प्रशासकीय अनुमोदन के लिए कार्य विभाग मैनुअल की कंडिका 2.004 के लिए यह निर्देश दिये जाते हैं कि :-

1. सर्वप्रथम विस्तृत सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाये तथा इसके आधार पर ही प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जाये।
 2. विस्तृत प्राक्कलन के आधार पर जारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाये।
- उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Prakash
31/1/2011
(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग

भोपाल, दिनांक 03.01.2011
4

पृ.क्र. एफ-52/1/10/यो/19 - 48
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश भोपाल।

Prakash
31/1/2011
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग